<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)न्यायालय सं०५, रामपुर।</u>

विशेष सत्र परीक्षण सं०--- ३४/२०१७, रजि०नं० १८८/२०१७

राज्य बनाम शाहनबाज व अन्य

धारा ३(१) गैंगस्टर एक्ट

थाना सिविल लाईन ,जिला रामपुर।

मु०अ०सं०-४७५/१७

<u>आरोप</u>

मैं, प्रतिभा सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय सं०५, रामपुर आप- **१-शहनवाज, २-दीपक कुमार** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूं-

यह कि दिनांक १३-०६-२०१७ को समय १९-३० बजे से पूर्व विभिन्न दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने एवं समाज में भय व आतंक फैलाने के लिये (1)मु०अ०सं० १६५/२०१७ धारा ३९४,४११ भा०दं०सं० थाना सिविल लाइन, जिला रामपुर, (2)मु०अ०सं० ३४०/२०१७ धारा ३७९, ४११ भा०दं०सं०, थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर से सम्बन्धित एकल/सामूहिक रूप से अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा-३(१) उत्तरप्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांकः- २०-०३-२०१८

{ प्रतिभा सक्सेना}
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,(गैंगस्टर एक्ट),
न्यायालय सं०५,रामपुर

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की ।

दिनांकः- २०-०३-२०१८

{ प्रतिभा सक्सेना}
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,(गैंगस्टर एक्ट),
न्यायालय सं०५,रामपुर

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय सं०५, रामपुर।

सत्र परीक्षण सं० ३४/२०१३, रजि०नं० १८८/१७

राज्य बनाम शाहनवाज व अन्य

थाना सिविल लाईन , जिला रामपुर ।

मु०अ०सं०–४७५/१७

जजेज नोट

अपराध का दिनांक व समय १३–०६–२०१७ को समय १९–३० बजे से पूर्व विभिन्न दिनांक व समय

धारा– ३(१)गैंगस्टर एक्ट,

थाना – सिविल लाइन्स, जिला रामपुर

अधिवक्ता राज्य श्री एस.एच.आर. सिद्दीकी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी,

अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री नजर अब्बास, एडवोकेट,

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन कथानक का उल्लेख किया गया तथा उन साक्ष्यों का वर्णन किया, जिसके आधार पर वह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित करने की प्रस्तावना करते हैं।

आरोप विरचित करने के प्रश्न पर मैंने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना ।

उभय पक्षों को सुनने व प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मेरे द्वारा यह अवधारित कराने का पर्याप्त आधार पाया गया कि अभियुक्तगण शहनवाज व दीपक कुमार ने धारा ३(१) उ०प्र०गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध तद्नुसार आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक को पेश हो । नियत तिथि के लिए अभियोजन साक्षीगण को तलब किया जाये।

(प्रतिभा सक्सेना)

दिनांकः २०–०३–२०१८ अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)

न्यायालय सं०५,रामपुर।